न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी हसमुख कुमार (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.प.संख्या 08 / 19

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
छगनलाल पुत्र श्री भूरारामजी सरगडा पेशा खेती एंव मजदुरी निवासी जावाल जिला सिरोही		1. जगाराम पुत्र मिठाजी जाति सरगडा निवासी झुपाघाट सिरोही 2. बाबूलाल पुत्र वागारामजी सरगडा 3. जवानाराम पुत्र वागारामजी सरगडा 4. डायालाल पुत्र वागारामजी सरगडा 5. देवी पुत्री वागारामजी सरगडा 6. मंजु पुत्री वागारामजी सरगडा 7. गेनीबाई पत्नि वागारामजी सरगडा 8. प्रेमाराम पुत्र रघुनाथरामजी सरगडा सभी निवासीयान नयावास सारणेश्वर दरवाजे के अन्दर सिरोही(राज.)। 9. मगनलाल पुत्र उदारामजी मेघवाल निवासी जावाल जिला सिरोही। 10. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सिरोही जिला सिरोही (राज.)।

उपस्थित :–
1. प्रार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री ऋषि माथुर
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान वकील श्री महेन्द्रसिंहजी
3. अप्रार्थी स्टेट की ओर से श्री पैरोकार सरकार सिरोही

" रा.प्रा.प.अ. धारा 251(क) की उपधारा (1) राज. अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

आदेश

दिनांक 14 .10.2019

प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 से 10 तक के विरूद्ध वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 16.01.2019 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया की प्रार्थी के खातेदारी एवम् कब्जे काश्त की पूश्तैनी कृषि भूमि ग्राम सिरोही पटवार हल्का सिरोही भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सिरोही तेहसील सिरोही जिला सिरोही (राज.) में खाता संख्या 89 खसरा संख्या 2110 / 1105 रकबा 0.0860 हैक्टेयर आई हुई हैं प्रार्थी उक्त भूमि पर पिछले कई वर्षो से लगातार काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी के लिए उसके खातेदारी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रेकर्डेड रास्ता अंकित नही है जिससे प्रार्थी उसके खातेदारी की कृषि भूमि में खसरा संख्या 1105 , 2107 / 1105, 2108 / 1105 की भूमि में से गुजरने वाले कदीमी रास्ते से (सलग्न नक्शे में वर्णित "ए" से "बी"रास्ते से) पिछले 45 वर्षो से भी अधिक समय से अपने पिता के जरिए आता जाता रहा है और उक्त रास्ते का उपभोग भी कई वर्षो से करता आ रहा है और प्रार्थी से पहले उक्त "ए"से

Continue Page No 2

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

"बी" कदीमी रास्ते के आगे कोलोनी से गुजरने वाले रास्ते मे मिल जाता है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त भाग, रास्ते के रूप में अंकित नही होने से प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने मवेशी, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी लाने ले जाने हेतु कई बार समस्याओ का सामना करना पडता है, प्रार्थी मध्यम वर्ग का काश्तकार वयक्ति है जिसके पुरे परिवार का भरण पोषण उक्त कृषि भूमि की आय से होता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु रास्ते की शक्त आवश्यकता है। उक्त "ए" से "बी" रास्ते वाले हिस्से को प्रार्थी के लिए रास्ते हेतु उपलब्ध कराया जाता हैं तो प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने हेतु और काश्त करने जाने हेतु आसानी से रास्ता मिल जावेगा, उक्त रास्ते के जरिये प्रार्थी अपनी आराजी पर ट्रेक्टर, बैलगाड़ी, पशुओं को भी आसानी ला ले जा सकेगा। उक्त रास्ता कायम किये जाने से अप्रार्थीगण की कृषि भूमि को भी कोई नुकसान नहीं होगा, अप्रार्थीगण की आराजी यथावत रूप में रहेगी, इसके अलावा भी प्रार्थी के उक्त भूमि पर आने जाने के लिए रास्ते का और कोई विकल्प भी नही हैं। प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशनुसार प्रतिकर रकम जमा करवाने हेतु तैयार है अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 1105 , 2107/1105, 2108/1105 की कृषि भूमि मे से संलग्न

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न प्रार्थी के खातेदारी की खाता संख्या 89 की जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 तथा अप्रार्थी संख्या 1 एक जगाराम के खातेदारी के खाता संख्या 92 की जमाबन्दी संवत 2070 से 2073, अप्रार्थी संख्या 2 से 7 के खातेदारी के खाता संख्या 240 की जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 और अप्रार्थी संख्या 8 से 9 के खातेदारी के खाता संख्या 231 की जमाबन्दी संवत 2070 से 2073, आस पडोस की कृषि भूमि को दर्शाते हुए नक्शा ट्रेस, प्रार्थी की कृषि भूमि मे आने जाने हेतु दर्शाते हुए रास्ते की भूमि का नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से दिनांक 28.01.2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किए गये।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 25.02.2019 को अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने से शामिल पत्रावली किये गये तथा पक्षकारान ने जवाब पेश करने हेतु न्यायहित मे पर्याप्त अवसर चाहने से समय दिया गया ।

विचारण प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 01.10.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से तस्दीकशुदा जवाब प्रस्तुत किया, अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब में निवेदन किया की प्रार्थी के लिए कभी कोई समस्या रास्ते के लिए पैदा नही हुई है बल्कि प्रार्थी स्वंय के लाभ के लिए कृषि भूमि को आवासीय मे संपरिवर्तन कराकर प्लोट काटकर बैचान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 ने दिनांक 15.06.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा जवाब प्रस्तुत किया, अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार करते हुए अपने जवाब में निवेदन किया की माननीय न्यायालय अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 2107/1105 में से बिचो बिच रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 को कोई आपत्ती नही है। अप्रार्थी संख्या 7 गेनीबाई पत्नि वागारामजी की मृत्यु हो चुकी है जिससे अप्रार्थी संख्या 7 को प्रार्थना पत्र से हटाया जावे। इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या 8 ने दिनांक 26.07.2019 को और अप्रार्थी

Continue Page No 3

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

संख्या 9 नौ दिनांक 22.07.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा जवाब प्रस्तुत किए, अप्रार्थी संख्या 8 और 9 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार करते हुए अपने जवाब में निवेदन किया की माननीय न्यायालय अप्रार्थी संख्या 8 ता 9 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 2108/1105 में से बिचो बिच रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 8 और 9 को कोई आपत्ती नही है। अप्रार्थी संख्या 10 स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जरिए क्रमांक/रीडर/2019/661 दिनांक 20.09.2019 को जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे यह कथन किया की मौजा सिरोही पटवार हल्का सिरोही तहसील सिरोही जिला सिरोही मे प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 2110/1105 रकबा 00.0860 स्थित है। खसरा संख्या 2110/1105 की कृषि भूमि से लगते हुए खसरा संख्या 1105 की कृषि भूमि स्थित है जो राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 एक के खातेदारी मे दर्ज है। उक्त खसरा संख्या 1105 से लगते हुए आगे दक्षिण दिशा की ओर खसरा संख्या 2107/1105 की कृषि भूमि स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 2 दो से 7 सात के खातेदारी मे दर्ज है। उक्त खसरा संख्या 2107/1105 से लगते खसरा संख्या 2108/1105 की कृषि भूमि स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 8 आठ से 9 नौ के खातेदारी मे दर्ज है जिनके जमाबन्दीयो की सत्यापित नकले जवाब के साथ संलग्न है। प्रार्थी के लिए उसके खातेदारी की कृषि भूमि मे आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रेकर्डेड रास्ता अंकित नही है इसके अलावा प्रार्थी ने अपने खातेदारी की कृषि भूमि पर आवागमन खसरा संख्या 1105, 2107/1105, 2108/1105 की कृषि भूमि के बिचो बिच से होना बताया है जिसे संलग्न नक्शे में "ए" से "बी" हिस्से से दर्शाया गया है। प्रार्थी ने खसरा संख्या 1105, 2107/1105, 2108/1105 में से 30 फिट चौडा और नाप अनुसार लम्बे रास्ते की मांग की गई है जिससे खसरा संख्या 1105, 2107/1105, 2108/1105 की भूमियो मे से 60 मीटर लम्बा व 9.15 मीटर चौडा अर्थात 60X9.15 = 549 वर्ग मीटर रास्ता दिया जा सकता है। अर्थात प्रार्थी के लिए खसरा संख्या 1105, 2107/1105, 2108/1105 मे से 549 वर्ग मीटर भूमि वैकल्पिक रास्ते के रूप में काम मे आवेगी।

इस न्यायालय मे दिनांक 09.10.2019 को विचारण प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.काश्त.अधि.1955 पर इस न्यायालय में वकील प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 तथा अप्रार्थी संख्या 10 स्टेट पैरोकार सरकार की अन्तिम बहस रखी गई। जिस पर वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी संख्या 1 तथा अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार ने न्यायालय में हाजीर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थनापत्र अन्तगर्त धारा 251(क) राज. काश्त. अधिनियम पर वकील प्रार्थी तथा वकील अप्रार्थी संख्या 1 एंव अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की अन्तिम बहस पर गंभीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मुल पत्रावली मय प्रार्थनापत्र, अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 और अप्रार्थी संख्या 10 स्टेट तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब, पक्षकारान द्वारा फार्म न. 3 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात, प्रार्थी के खातेदारी की खाता संख्या 89 की जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 तथा अप्रार्थी संख्या 1 एक के खातेदारी के खाता संख्या 92 की जमाबन्दी

Continue Page No 4

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

संवत 2070 से 2073, अप्रार्थी संख्या 2 से 7 के खातेदारी के खाता संख्या 240 की जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 और अप्रार्थी संख्या 8 से 9 के खातेदारी के खाता संख्या 231 की जमाबन्दी संवत 2070 से 2073, आस पडोस की कृषि भूमि को दर्शाते हुए नक्शा ट्रेस, सलग्न नक्शा ट्रेस का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस के दौरान यह कथन किया कि प्रार्थी स्वंय के लाभ के लिये स्वंय की कृषि भूमि को आवासीय मे संपरिर्वतन कराकर प्लोट काट कर बैचान करने तथा अप्रार्थी संख्या एक के कृषि भूमि मेसे गललत तरीके से रास्ता निकालने के लिये यह प्रार्थनापत्र पेश करना बताया है तथा अप्रार्थी संख्या एक की कृषि भूमि के टुकडे करवाना चाहता है। अप्रार्थी संख्या एक के उक्त कथन की सत्यता की पुष्टि मे अप्रार्थी संख्या एक ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है। अतः संपूर्ण प्रकरण के विवेचन के आधार पर प्रार्थी के अपने खातेदारी भूमि मे कृषि कार्य हेतु आने जाने, मवेशी बैलगाडी व ट्रेक्टर लाने ले जाने, फसल बोने, सिचाई कार्य हेतु रास्ते का अभाव होना सिद्ध है प्रार्थी के खातेदारी भूमि मे जाने के लिए राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज नही है इस कारण नियमानुसार राशी अदा किए जाने पर प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित है अतः तहसीलदार सिरोही द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शीत प्रस्तावित रास्ते की भूमि को वैकल्पिक रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 1105, 2107/1105, 2108/1105 में से 30 फिट चौडा और नाप अनुसार लम्बे रास्ते की मांग की है खसरा संख्या 1105, 2107/1105, 2108/1105 की कृषि भूमियो मे से 60 मीटर लम्बा व 9.15 मीटर चौडा अर्थात 60 X 9.15 = 549 वर्ग मीटर रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी के लिए रास्ते के रूप में काम आवेगा। प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 1105, 2107/1105, 2108/1105 की कृषि भूमियो मे से 60 मीटर लम्बा व 9.15 मीटर चौडा अर्थात 60 X 9.15 = 549 वर्ग मीटर भूमि की भूमि गैरमुमकीन सार्वजनिक रास्ते के लिए स्वीकृत की जाती है। प्रस्तावित उक्त रास्ते की भूमि सार्वजनिक रास्ते के लिए राजस्व रेकर्ड मे दर्ज की जावे। उक्त स्वीकृत की गई रास्ते की भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है।

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरो या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मते राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 कि उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधारित भूमि के तुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

अतः अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 नौ के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बरान क्रमशः 1105, 2107/1105, 2108/1105 की कृषि भूमियो मे से 60 मीटर लम्बा व 9.15 मीटर चौडा अर्थात 60 X 9.15 = 549 वर्ग मीटर भूमि रास्ते के रूप में उक्तानुसार कीमत अवधारित की जाकर प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने व रास्ते के लिये प्रस्तावित उक्त कृषि भूमि के खातेदार क्रमशः जगाराम मीठाजी सरगडा, बाबुलाल, जवानाराम, डायालाल पिसरान वागारामजी सरगडा, देवी, मंजु पुत्रीया वागारामजी सरगडा, प्रेमाराम पुत्र रघुनाथरामजी सरगडा सभी निवासीयान नयावास सारणेश्वर दरवाजे के अन्दर सिरोही, मगनलाल पुत्र उदारामजी मेघवाल निवासी जावाल को उपरोक्त राशी का भूगतान करने पर तहसीलदार सिरोही को राजस्व रेकर्ड मे किस्म गै.मु.रास्ता सार्वजनिक श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने के आदेश भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को

Continue Page No 5

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही (राज०)

दिये जाते है। निर्णय न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हंसमुख कुमार)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 14.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.06 19:12:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: